International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 7 Issue 12 Ver. II ||December 2018 || PP 95-98

वैश्वीकरण का कामकाजी महिलाओं पर प्रभाव

रेखा जौरवाल
प्रवक्ता इतिहास विभाग
गौरी देवी महिला महाविद्यालय,
अलवर (राजस्थान) 301001

निजीकरण एक ऐसी सर्वव्यापी प्रक्रिया है जिसमें सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्योग, संस्थान या प्रक्रिया पर किसी निजी प्रतिष्ठान या मालिक का स्वामित्व हो जाता है और वही उसके लिए संसाधनों तथा धन की व्यवस्था करते हैं। निजीकरण के पीछे हमेशा लाभ कमाने की भावना समावेशित आज विश्व में सर्वत्र निजीकरण की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से अपनाई जा रही है। इस कारण इसका प्रभाव जीवन के सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। निजीकरण के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा होने के कारण जहाँ एक और विकास की गति तीव्र दिख रही है वहीं इससे मानव समाज के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा जीवन की आवश्यकताओं के बढ़ जाने के कारण महिलाओं को भी घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर पुरुषों के समान कार्य करना पड़ रहा है। जिस कारण श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी होती जा रही है। अपने परिवार को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं को नौकरी या किसी प्रकार का व्यवसाय आवश्यक है। आज शिक्षा प्राप्त करने तथा नौकरी या व्यवसाय करने वाली भारतीय महिलाओं की संख्या में बढोत्तरी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। पूरे आर्थिक परितंत्र का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाएँ कार्य न कर रही हों। वह क्षेत्र चाहे उद्योग का हो, तकनीकी का, संचार का, नौकरी का शिक्षा का या व्यवसाय आदि का, सभी में महिलाओं का दखल प्रारम्भ हो गया है। इसी कारण आज वैश्विक श्रम बाजार में महिला कामगारों की भागीदारी दो तिहाई है और इनमें से अधिकांश महिला कामगार असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

1980–90 के दशक से विश्व में आए उदारीकरण के कारण भारत में महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने तथा नौकरी करने के अवसरों में तेजी आई है। वैश्वीकरण ने मध्यमवर्गीय शिक्षित महिलाओं को नौकरी व व्यवसाय के माध्यम से अपने सपनों को उड़ान देने की सामर्थ्य दी है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का जो क्षेत्र पूर्व में अविजित था अब अपनी योग्यता के कारण वह उस पर विजय प्राप्त कर रही हैं। यद्यपि अभी भी इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है तथापि महिलाएं भावी पीढ़ी के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं व उनके लिए राह आसान कर रही हैं। परन्तु इसके साथ ही इनके द्वारा तैयार की गई नीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति में न्यूनता भी आ रही है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के राजकीय व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को विकास व लाभ कमाने की दृष्टि से निजी हाथों में हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिस कारण सरकारी नौकरी के दरवाजे महिलाओं के लिए बन्द हो गए और उन्हें काम प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र का सहारा लेना पड़ रहा है। आर्थिकवैश्वीकरण के कारण कई कम्पनियों अपने खर्चों में कमी कर रही हैं। इसके लिए वे अपने कर्मचारिया की संख्या में कटौती करना, उनके वेतन तथा भत्तों में कटौती करना, पूर्ण कालिक कर्मचारियों के स्थान पर अंशकालिक कर्मचारियों की भर्ती करना, सेवा निवृत्ति की आयु वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना तथा कार्यरत कर्मचारियों को काम के अत्यधिक बोझ से लाद देना आदि उपायों को अपना रही हैं। विश्व में अधिकाश महिला कामगार शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, सरकारी कार्यालयों में क्लर्क, समाज सेवा आदि क्षेत्र में कार्यरत है क्योंकि अभी भी महिलाओं के लिए ये क्षेत्र सम्मानजनक, अच्छे वेतन वाले तथा सुरक्षित माने जाते हैं। परन्तु इनमें से अधिकांश महिलाएं किसी भी श्रमिक संगठन का अंग नहीं होती। कनाडा लेबर कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार –विश्व में कुल कामकाजी महिलाओं में से एक चौथाई महिलाएँ ही श्रम संगठन वाले उद्योगों या प्रतिष्ठानों में काम करती हैं, जबकि दो तिहाई महिलाएँ श्रम संगठन रहित सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। अतः जब किसी कारण से ये संगठन अपनी आर्थिक नीतियों को बदलते हैं या प्रतिष्ठान का निजीकरण करते हैं तो इन महिलाओं को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक जगत में बढ़ रहे निजीकरण से महिला कामगार स्पष्ट रूप से प्रभावित हो रही हैं। इसके कारण जहाँ महिलाओं के लिए आर्थिक शिक्षा प्राप्त करने व आर्थिक स्वतंत्रता के दरवाजे खुले हैं वहीं इसके कारण हो रहे निजीकरण से उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा पर भी कुठाराघात हो रहा है। निजीकरण के कारण राजकीय व सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में दे दिए जाने के कारण महिलाओं की नौकरियाँ छिन रही हैं और उन्हें दैनिक वेतनभोगी होने पर मजबूर हो रही है। यदि हम महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण और निजीकरण की बात करें तो यह एक दोधारी प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित होती है। जिसमें एक ओर तो महिलाओं को शिक्षा तथा रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे है। वहीं दूसरी ओर इसके कारण उनकी सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त सरकारी छूट तथा कानूनी सहायता की सुविधा उनसे छिन रही है।

हमारे समाज में महिलाओं को सदा से ही दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। जिस कारण उनका पालन–पोषण हो, पौष्टिक आहार हो, शिक्षा हो या फिर नौकरी हर जगह उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया

जाता है। यद्यपि आज महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं व उच्च पदों पर रही है, तथापि आज भी कई क्षेत्र व व्यवसाय ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं का प्रवेश निषेध माना जाता है। देश के आज भी अधिकांश महिलाएँ श्रमिक के रूप में असंगठित क्षेत्रों में ही काम कर रही हैं। जिनके लिए किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के छठ्थे 3 के अनुसार देश में 6.5 प्रतिशत महिलाएँ तकनीकी / व्यावसायिक तथा प्रबंधन के क्षेत्र में, 1.8 प्रतिशत महिलाएँ क्लर्क, 3.7 प्रतिशत व्यवसाय, 6.8 प्रतिशत सेवा क्षेत्र, 22.1 प्रतिशत कुशल व अकुशल श्रमिक के रूप में तथा 58.8 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं।''इससे यह स्पष्ट है कि हमारे देश में उच्च पदों पर केवल 6.5 प्रतिशत महिलाएं ही कार्यरत हैं। महिलाओं के शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण वे सरकारी क्षेत्र के उच्च पदों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं जिस कारण उन्हें असंगठित क्षेत्र का ही सहारा लेना पड़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्वभर में अधिकांश राजकीय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को निजी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक सीमाओं के समाप्त हो जाने के कारण निजी प्रतिष्ठान अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अब विश्व में कहीं भी अपने उत्पादों को तैयार कराने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस कारण विकसित देशों के अधिकांश निजी संस्थान ऐसे विकासशील देशों में अपने उद्योगों को स्थापित करने लगे हैं जहीं महिला श्रमिकों के रूप में सस्ते श्रमिक आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए आज अनेक विदेशी निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भारत में अपने संस्थान स्थापित कर रहे हैं। ये औद्योगिक प्रतिष्ठान महिला कामगारों को अपने यहाँ श्रमिक के रूप में नियुक्त करने में अधिक रुचि लेते है। इसका कई कारण है जैसे कम वेतन पर महिला कामगारों का उपलब्ध हो जाना, महिला कामगारों के किसी श्रमिक संगठन का सदस्य होना, महिलाओं के द्वारा बिना किसी प्रकार की आनाकानी के हर कार्य करने में सहमति दे देना आदि। इससे इन कम्पनियों के मुनाफे में तो वृद्धि हुई परन्तु महिला कामगारों का प्रत्यक्ष रूप से शोषण हुआ है। महिलाओं की मजदूरी कम हुई है, उनके काम करने के घण्टे बढ़े हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा में कमी हुई है कई कम्पनियों के द्वारा तो महिला श्रमिकों को पी. एफ. तथा मातृत्व काल में सवैतनिक अवकाश भी न दिया जा रहा है। यदि हम भारत की महिला श्रमिकों तथा विकसित देशों की महिला श्रमिकों की मजदूरी में जमीन–आसमान का अन्तर है। इसका मुख्य कारण यहाँ की महिलाओं का अल्प शिक्षित या अशिक्षित होना है। क्योंकि उसका मानना है कि भले ही वह शोषित हो रही है परन्तु उसे अपने अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु काम तो मिल रहा है। भारत सरकार के संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम को आड में असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं को उनकी सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर दिया गया है। विभिन्न श्रम कानूनों जैसे –मातृत्व लाभ कानून (1981), कामगार राज्य जीवन बीमा योजना, फैक्ट्री – एक्ट (1948), समान मानदेय कानून (1948), बौम्बे शॉप्स एण्ड स्टैबलिसमैण्ट एक्ट (1994), प्लाण्टेशन लेबर एक्ट आदि के द्वारा संगठित क्षेत्र की महिला कामगार को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा से असंगठित क्षेत्र की महिला को दूर कर दिया गया है। जबकि आज भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामगार महिला का प्रतिशत 90 है।

वैश्वीकरण तथा निजीकरण का एक और विपरीत प्रभाव भारतीय कामगार महिलाओं के जीवन पर पड़ रहा है और वह है उनका आर्थिक व शारीरिक शोषण शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के पिछड़े होने के कारण अधिकांश कामकाजी महिलाएं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। जिस कारण उनको बहुत ही कम वेतन पर तथा अत्यधिक अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अधिकाश महिलाएं ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां पर अत्यधिक गरीबी व अशिक्षा व्याप्त है। अल्प शिक्षित व अकुशल होने के कारण वे जीवन यापन हेतु किसी भी प्रकार का कार्य तथा कोई भी वेतन लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। कार्यक्षेत्र में यदि उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त नहीं भी होती हैं तो भी वे किसी प्रकार का विरोध या शिकायत नहीं करती। क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें अपने रोजगार को खो देने का भय होता है। इसलिए वे चुपचाप नियोक्ता की हर प्रकार की ज्यादती को सहन कर लेती हैं। जबकि नियोक्ता उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर उनके श्रम से अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं। निजीकरण के कारण जहाँ बड़े औद्यौगिक घराने करोड़पति से अरबपति बन रहे हैं वहीं अधिकांश लोग इस बात से जानकार नहीं हैं कि असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाएं और अधिक शोषित होती जा रही हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नोएडा के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम करने वाली महिलाओं को देखकर लगाया जा सकता है, जो बहुत कम वेतन तथा काम करने के अमानवीय वातावरण में दिन में बारह घण्टे काम करती हैं।

'यद्यपिमहिलाएँ घर–परिवार, बच्चों, खेती, जानवरों आदिकी देखभाल के रूप में जीवनभर कामकरती रहती है परन्तु उनके श्रम का अधिकांश हिस्सा अवैतनिक रहता है जिस कारण उनके श्रम को किसी प्रकार का अधिभार नहीं दिया जाता। आज भी हमारे देश में श्रम शक्ति के आकड़ों में केवल 20 प्रतिशत भारतीय महिलाओं को कामगार का दर्जा दिया गया है। इन महिलाओं में से अधिकांश जो उद्योगों व कृषि क्षेत्र में दैनिक मजदूरी में लगी है उन्हें बहुत कम मजदूरी प्राप्त होती है। कृषि क्षेत्र में लागत मूल्य कम करने के लिए भूपतियों द्वारा औरतों के सस्ते श्रम का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गई है। कृषि मजदूर यूनियन द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पांच जिलों के सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि धान, कपास, मिर्च, हल्दी, तम्बाकू तथा फूलों की खेती के लिए मर्दों से ज्यादा औरतों को काम पर रखा जाता है। मालिक लोग महिलाओं को काम पर रखने के लिए इसलिए अधिक इच्छुक रहते हैं क्योंकि महिलाएं अधिक मेहनती होती है. बगैर छुट्टी लिए लगातार काम करती रहती हैं तथा मर्दा की तुलना में 30 से 36 प्रतिशत कम मजदूरी पर मिल जाती हैं।

इस प्रकार इस शोध के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र के हुए निजीकरण के कारण भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हुई है। आज महिलाएं अच्छी

शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक स्वतंत्रता के अपने सपने को पूरा कर पा रही हैं। परन्तु इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे निजीकरण के कारण रोजगार के अवसर प्राप्त तो हुए है, लेकिन अल्प शिक्षित या अशिक्षित होने के कारण ये रोजगार के अवसर असंगठित क्षेत्र की निजी कम्पनियों में हैं। आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण इन महिलाओं का रोजगार करना आवश्यक है। अपने परिवार के आर्थिक व सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वे निजी उद्योगों व फैक्ट्रियों में काम करती हैं। जहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी या अभाव होता है। जिस कारण उन्हें अमानवीय स्थिति में कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है। उन्हें मिलने वाला अल्प वेतन उनके परिवार के पोषण के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है जिस कारण वे शोषण को सहकर भी अपने मालिकों से बगावत नहीं कर पाती। महिलाओं के किसी प्रकार के श्रमिक संगठन का सदस्य न होने के कारण उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं होता और अशिक्षा के कारण वे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं रखतीं। निजी क्षेत्र में महिला कामगरों के द्वारा ईमानदारी पूर्वक व कम वेतन पर कार्य किए जाने के कारण सेवा प्रदाता या नियोक्ता की पहली पसन्द महिला कामगार होती हैं। जो कि बिना बोले, शोषण सहते हुए केवल उत्पादन देने में व्यस्त रहती हैं। सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण हो जाने के कारण महिलाएं सरकारी नौकरी से वंचित हो रही हैं और वे दैनिक वेतनभोगी मजदूर के रूप में आर्थिक शोषण का शिकार हो रही हैं। इस प्रकार आज वैश्वीकरण व निजीकरण ने लाखों गरीब कामगार महिलाओं और बच्चों को आर्थिक तंत्र के हाशिए पर धकेल दिया गया है। संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम ;ै।च्द्ध ने तो कामगार महिलाओं को असंगठित क्षेत्रों की ओर धकेल कर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है।

सुझाव–प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वैश्वीकरण व निजीकरण के कारणकामकाजी महिलाओं के जीवन पर पड़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए निम्न उपायों को अपनाया जा सकता है –

- निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनों का प्रावधान किया जाए तथा उन्हें कठोरता से लागू किया जाए।
- सरकार द्वारा महिला कामगारों के लिए लागू की गई ई०पी०एफ०, मातृत्व अवकाश योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने हेतु व्यावसायिकों पर दबाव बनाया जाए।
- प्रत्येक निजी प्रतिष्ठान में जहाँ महिलाएँ कार्यरत हों बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के निरीक्षण हेतु सरकार द्वारा कमेटी का गठन कर उसे इस कार्य को कराने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।
- निजी क्षेत्र की अशिक्षित व अल्प शिक्षित कामकाजी महिलाओं के शैक्षिक स्तर को उठाने हेतु इनके लिए अल्पकालिक कक्षाओं का आयोजन किया जाए, ताकि शिक्षा प्राप्त कर वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।
- अकुशल कामकाजी महिलाओं के कौशल विकास हेतु महिलाओं के लिए सांध्यकालीन, निःशुल्क, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
- कामकाजी महिलाओ की सामाजिक सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों को निजी क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी लागू किया जाए।
- कामकाजी महिलाओं को स्व–विकास हेतु प्रेरित कर उन्हें निरौपचारिक शिक्षा साधनों के माध्यम सेशिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- समाज परिवार, नियोक्ता आदि को कामकाजी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

संदर्भ सूची

1ण झीवींतए त्मममउए जीम चैमदवउमदंस प्दकपंद ॅवउमदए ूण्बीपससपइतमम्रमण्बवउए उींए कवबनउमदजण

2ण ळसवइंसप्रंजपवद ंदक ॅवउमदश्े ॅवताए ॅवउमद जीम म्बवदवउलण । च्तवरमबज व िन्छच्क्

3ण ळ ैदकीलं त्ंदप ;2010द्धए ळसवइंसप्रंजपवद ंदक ॅवउंदए ॊपं च्बपपिब श्रवनतदंस व िैवबपंस ैबपमदबमेए ैचमबपंस प्ेनम छवण 1एक्मब 2010ण म्समबजतवदपब च्तपदजए च्ंहम 147ण

4ण ज्ञपदीमत ैनदपजं – ज्ञंउसं ळनचजंए ;2009द्धए छंजपवदंस थ्ंउपसल भ्मंसजी ैनतअमल ;छथ्भ्ै 3 द्ध प्दकपं 2005.06ए ळमदकमत म्unंसपजल ंदक ॅवउमदश्े म्उचवूमतउमदज पद प्दकपदए डपदपेजतल व िभ्मंसजी ंदक थ्ंउपसल ॅमसतिमए च्ंहम छवण 51

5ण च्ंबजए टपइीनजपण ;2007द्धए प्उचंबज व िहसवइंसप्रंजपवद वद ूवउमदए ैमचजमउइमत 2007ए ूण्पदविबींदहमपदकपंण्वतह चकिपिसमण्च्ंहम 2

छमहंजपअम मििबज व िहसवइंसप्रंजपवदए ज्तपचवकए डभ्ज्डस् क्वबनउमदजण

7ण मेनन–सेन, कल्याणी एवं ए०के० शिव कुमार (2002), भारत में औरतें कितनी आजाद? कितनी बराबर संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में स्थानिक समन्वयक के कार्यालय द्वारा अधिकृत रिपोर्ट 55 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली, पेज संख्या 57

8ण् च्ंजमसए टपइीनजप ;2007द्ध ण् प्उचंबज वि हसवइंसप्रंजपवद वद ूवउमदए ैमचजमउइमत 2007ए ूण्पदविबींदहमपदकपंण्वतहण् चकि पिसमण्